न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
166 / 2021	12.10.2021	8.02.2024

पीठासीन अधिकारी–विजेन्द्र कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

1– लेखराज आत्मज सूरजमल जाति ब्राहम्ण निवासी कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– सूरजमल आत्मज मन्नालाल जाति ब्राहम्ण
2– गिरिराज आत्मज सूरजमल जाति ब्राहम्ण
3– पुरूषोत्तम आत्मज सूरजमल जाति ब्राहम्ण
4– मुकेश आत्मज सूरजमल जाति ब्राहम्ण
निवासीगण कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा
5– कमलेश पुत्री सूरजमल, पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी सांकली तहसील बांरा जिला बांरा
6– सीमा पुत्री सूरजमल, पत्नी राजेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी सुवांसा तहसील के0पाटन जिला बूंदी
7– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री भारत शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से – जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती तथा विभाजन

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि

1– यह कि ग्राम बृजपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0नं0 11 की 0.18 हे0, ख0नं0 12 की 0.04 हे0, ख0नं0 13 की 2.16 हे0, ख0नं0 157 की 1.76 हे0, ख0नं0 162 की 0.36 हे0, ख0नं0 169 की 2.22 हे0, ख0नं0 170 की 0.82 हे0, ख0नं0 201 की 0.16 हे0, ख0नं0 236 की 0.45 हे0, ख0नं0 239 की 0.25 हे0, ख0नं0 248 की 0.28 हे0, ख0नं0 249 की 0.20 हे0, ख0नं0 264 की 0.20 हे0, ख0नं0 264 / 303 की 0.03 हे0, ख0नं0 68 की 0.06 हे0, ख0नं0 69 की 1.62 हे0, ख0नं0 71 की 0.98 हे0, ख0नं0 72 की 0.06 हे0, कुल 18 किता की 11.83 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नं0 1 के खाते में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 संलग्न है।

2– यह कि प्रतिवादी नं0 1, वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 6 का पिता है यानी वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 6 प्रतिवादी नं0 1 के पुत्र पुत्री हे उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 को उनके पिता की मृत्यु के बाद विरासत में प्राप्त हुई है। जो पुश्तैनी भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

3. यह कि उपरोक्त भूमियां प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज चली आ रही है इस कारण उक्त पक्ष की यह जमाबन्दी 1 से अंकित की भूमियों में वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 6 का प्रतिवादी नं0 1 के साथ बराबर बराबर हिस्सा है इस कारण प्रतिवादी नं0 1 ने वादी व प्रतिवादी नं0 2, 3, 6 को भूमियां काश्त हेतु दी हुई है तथा आपसी ... से काबिज काश्त चले आ रहे है। इस कारण प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 6 को बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 6 को सहखातेदार अंकित किया जाना आवश्यक है।

4. यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी ने प्रतिवादी नं0 1 से उसका व प्रतिवादी नं0 2 ता 6 का नाम अंकित कर खातेदार घोषित करवाने व विभाजन करने हेतु दिनांक 20.09.2021 को कहा तो प्रतिवादी नं0 1 ने मना कर दिया तथा धमकी दी कि वह वादी को उक्त भूमि पर काश्त नहीं करने देगें और न उसका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करवायेगा तथा वादी को उक्त भूमि से वंचित करने व भूमि को रहन बेचान व अन्तरण करने की धमकी दी। जिसका कि प्रतिवादी नं0 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। यदि प्रतिवादी नं0 1 को उक्त अवैध कृत्य करने से नहीं रोका गया तो वादी पुश्तैनी भूमि प्राप्त करने में हमेशा के लिये वंचित हो जावेगें। तथा दावा पेश करना ही व्यर्थ हो जावेगा।

5. यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है।

6. यह कि वाद कारण प्रतिवादी नं0 1 द्वारा वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 6 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने से इन्कार करने पर तथा दिनांक 20.09.2021 को उक्त भूमि से वादी को वंचित करने, विभाजन कराने से इन्कार होने व भूमि को रहन बेचान व अन्तरण करने की धमकी देने पर पैदा हुआ।

7— यह कि प्रतिवादी नं0 7 भूमि का लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहेसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी नं0 2 ता 6 प्रतिवादी नं0 1 के पुत्र व पुत्री होने से पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे :-

1— कि वाके ग्राम बृजपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0नं0 11 की 0.13 हे0, ख0नं0 12 की 0.04 हे0, ख0नं0 13 की 2.16 हे0, ख0नं0 157 की 1.76 हे0, ख0नं0 162 की 0.36 हे0, ख0नं0 169 की 2.22 हे0, ख0नं0 170 की 0.82 हे0, ख0नं0 201 की 0.16 हे0, ख0नं0 236 की 0.45 हे0, ख0नं0 239 की 0.25 हे0, ख0नं0 248 की 0.28 हे0, ख0नं0 249 की 0.20 हे0, ख0नं0 264 की 0.20 हे0, ख0नं0 264/303 की 0.03 हे0, ख0नं0 68 की 0.06 हे0, ख0नं0 69 की 1.62 हे0, ख0नं0 71 की 0.98 हे0, ख0नं0 72 की 0.06 हे0 कुल 18 किता की 11.83 हेक्टर भूमि मे प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 6 को सहखातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 6 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। रो करते हुये उक्त भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे। व उक्त भूमि वादीगण के खाते दर्ज की जावे।

... वादी
... जिला कोटा (राज0)

1— ग्राम बृजपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0नं0 11 की 0.18 हे0, ख0नं0 12 की 0.04 हे0, ख0नं0 13 की 2.16 हे0, ख0नं0 157 की 1.76 हे0, ख0नं0 162 की 0.36 हे0, ख0नं0 169 की 2.22 हे0, ख0नं0 170 की 0.82 हे0, ख0नं0 201 की 0.18 हे0, ख0नं0 236 की 0.45 हे0, ख0नं0 239 की 0.25 हे0, ख0नं0 248 की 0.28 हे0, ख0नं0 249 की 0.20 हे0, ख0नं0 264 की 0.20 हे0, ख0नं0 264/303 की 0.03 हे0, ख0नं0 68 की 0.06 हे0, ख0नं0 69 की 1.62 हे0, ख0नं0 71 की 0.98 हे0, ख0नं0 72 की 0.06 हे0, कुल 18 किता की 11.83 हेक्टर भूमि का वादी, प्रतिवादी नं0 2 ता 6 व प्रतिवादी नं0 1 के मध्य विभाजन किया जाकर भूमियां अलग—अलग खाते दर्ज की जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:—

1— नकल जमाबन्दी ग्राम बृजपुरा खाता सं0 नया 95 सम्वत 2076—2079

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। वादी व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर न्यायालय में लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से आपसी सहमति से एक लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली की आदेशिका पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी। वादी—प्रतिवादीगण की पहिचान हेतु आई डी की जांच की गयी।

जेरकार प्रकरण में प्रतिवादी नं0 1 सूरजमल की ओर से एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो जिसमें कथन किया कि वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 6 के अलावा मेरे कोई वारिसान नही है जिसे शामिल फाईल किया गया। पत्रावली को बहस पर नियत की गयी।

वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी गण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी—प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का अनुरोध किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड , बहस वादी—प्रतिवादी अधिवक्ता एवं संलग्न अन्य दस्तावेजों एवं प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया।

वादी—प्रतिवादीगण में आपसी सहमति से राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया:—

यह कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में एक ही परिवार के सदस्य होने से आपस में वाद में राजीनामा हो गया है जो किसी प्रकार का वादी व प्रतिवादीगण के मन में कोई मन मुटाव नही है जो राजीनामा ग्राम बृजपुरा के वाद पत्र में अंकित कुल खसरा संख्या 18 की रकबा 11.83 हेक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से राजीनामा प्रस्तुत कर रहे है:—

1— वादी लेखराज के हिस्से में आयी भूमि:—

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	दिशा
68	0.06 हेक्टर	बारानी II	सम्पूर्ण
69	1.62 हेक्टर	बारानी II	सम्पूर्ण
71	0.98 हेक्टर	बारानी III	सम्पूर्ण
72	0.06 हेक्टर	बारानी III	सम्पूर्ण
कुल 4 किता	2.72 हेक्टर		

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

2– प्रतिवादी नं0 1 सूरजमल के हिस्से में आयी भूमिः–

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	दिशा
249	0.20 हेक्टर	माल II	सम्पूर्ण
264	0.20 हेक्टर	बारानी I	सम्पूर्ण
264/303	0.03 हेक्टर	बारानी I	सम्पूर्ण
कुल 3 किता	0.43 हेक्टर		

3– प्रतिवादी नं0 2 गिरिराज के हिस्से में आयी भूमिः–

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	दिशा
169	2.22 हेक्टर में से 1.42 हेक्टर	बारानी I	उत्तर दिशा
162	0.36 हेक्टर	माल I	सम्पूर्ण
157	1.76 हेक्टर में से 0.64 हेक्टर	माल I	पूर्व दिशा
कुल 3 किता	2.42 हेक्टर		

4– प्रतिवादी नं0 3 पुरूषोत्तम के हिस्से में आयी भूमिः–

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	दिशा
11	0.18 हेक्टर	बारानी II	सम्पूर्ण
12	0.04 हेक्टर	बारानी II	सम्पूर्ण
13	2.16 हेक्टर	बारानी II	सम्पूर्ण
157	1.76 हेक्टर में से 1.12 हेक्टर	माल I	पश्चिम दिशा
कुल 4 किता	3.50 हेक्टर		

5– प्रतिवादी नं0 4 मुकेश के हिस्से में आयी भूमिः–

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	दिशा
170	0.82 हेक्टर	बारानी I	सम्पूर्ण
169	2.22 हेक्टर में से 0.80 हेक्टर	बारानी I	दक्षिण दिशा
201	0.16 हेक्टर	बारानी I	सम्पूर्ण
236	0.45 हेक्टर	माल II	सम्पूर्ण
239	0.25 हेक्टर	माल II	सम्पूर्ण
248	0.28 हेक्टर	माल II	सम्पूर्ण
कुल 6 किता	2.76 हेक्टर		

यह कि प्रतिवादी नं0 5 व 6 की शादी हो चुकी है जो अपना हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में हकत्याग कर दिया है एवं अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती है।

उपखण्ड अधिकारी
गोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि उपरोक्त राजीनामा वादी व प्रतिवादीगण द्वारा होश हवाश में किया गया है जो उक्त राजीनामें के आधार पर डिक्री पारित करने में वादी व प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित की जावे।

प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा पर उभय पक्ष को सुना गया।

उभय पक्ष की ओर से आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं उभय पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः वादी प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी गण में राजीनामा निम्नानुसार प्रस्तुत हुआ

1— वादी लेखराज के हिस्से में आयी भूमिः—

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	दिशा
68	0.06 हेक्टर	बारानी II	सम्पूर्ण
69	1.62 हेक्टर	बारानी II	सम्पूर्ण
71	0.98 हेक्टर	बारानी III	सम्पूर्ण
72	0.06 हेक्टर	बारानी III	सम्पूर्ण
कुल 4 किता	2.72 हेक्टर		

2— प्रतिवादी नं0 1 सूरजमल के हिस्से में आयी भूमिः—

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	दिशा
249	0.20 हेक्टर	माल II	सम्पूर्ण
264	0.20 हेक्टर	बारानी I	सम्पूर्ण
264 / 303	0.03 हेक्टर	बारानी I	सम्पूर्ण
कुल 3 किता	0.43 हेक्टर		

3— प्रतिवादी नं0 2 गिरिराज के हिस्से में आयी भूमिः—

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	दिशा
169	2.22 हेक्टर में से 1.42 हेक्टर	बारानी I	उत्तर दिशा
162	0.36 हेक्टर	माल I	सम्पूर्ण
157	1.76 हेक्टर में से 0.64 हेक्टर	माल I	पूर्व दिशा
कुल 3 किता	2.42 हेक्टर		

[illegible]
[illegible] जिला [illegible] (राज.)

— प्रतिवादी नं0 3 पुरूषोत्तम के हिस्से में आयी भूमिः—

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	दिशा
11	0.18 हेक्टर	बारानी II	सम्पूर्ण
12	0.04 हेक्टर	बारानी II	सम्पूर्ण
13	2.16 हेक्टर	बारानी II	सम्पूर्ण
157	1.76 हेक्टर में से 1.12 हेक्टर	माल I	पश्चिम दिशा
कुल 4 किता	3.50 हेक्टर		

5— प्रतिवादी नं0 4 मुकेश के हिस्से में आयी भूमिः—

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	दिशा
170	0.82 हेक्टर	बारानी I	सम्पूर्ण
169	2.22 हेक्टर में से 0.80 हेक्टर	बारानी I	दक्षिण दिशा
201	0.16 हेक्टर	बारानी I	सम्पूर्ण
236	0.45 हेक्टर	माल II	सम्पूर्ण
239	0.25 हेक्टर	माल II	सम्पूर्ण
248	0.28 हेक्टर	माल II	सम्पूर्ण
कुल 6 किता	2.76 हेक्टर		

यह कि प्रतिवादी नं0 5 व 6 की शादी हो चुकी है जो अपना हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में हकत्याग कर दिया है एवं अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती है।

अतः वादी का वाद पत्र उभय पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार राजीनामा अनुसार पृथक पृथक खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी क्रम 5 व 6 ने अपना अपना हिस्सा भाईयों के पक्ष में हकत्याग कर दिया जाने से नियमानुसार हकत्याग का शुल्क वसूल करते हुए मुताबिक राजीनामा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद